

कार्यालय आदेश

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.02.2026 को आयोग में लम्बित दण्ड आदेश वापसी मामलों की सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पा रही है।

अतः दिनांक 02.02.2026 को नियत पत्रावलियों में अग्रिम सुनवाई की तिथि निम्नवत् नियत की जाती है।

प्रकार	क्रम संख्या	सुनवाई तिथि	नियत अग्रिम सुनवाई तिथि
ऑफलाइन	02 से 24 तक 26 से 46 तक 48 से 64 तक	02.02.2026	29.06.2026

नोट:- दिनांक 02.02.2026 की कॉजलिस्ट ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्राप्त पुनर्स्थापना में सुनवाई क्रमशः

ऑफलाइन:-

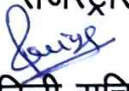
क्रम सं०-01 — वाद सं०-एस-10/36/पुनः/2022 — पी०नं०-5135
क्रम सं०-25 — वाद सं०-एस-5/431/पुनः/2023 — पी०नं०-11888
क्रम सं०-47 — वाद सं०-एस-10/179/पुनः/2024 — पी०नं०-12073

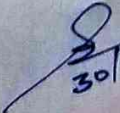
ऑनलाइन:-

क्रम सं०-01 — वाद सं०-रजि०/पुनः/0003/2026 — पी०नं०-20251100936
क्रम सं०-02 — वाद सं०-रजि०/पुनः/0014/2025 — पी०नं०-20251200823
क्रम सं०-03 — वाद सं०-रजि०/पुनः/0001/2026 — पी०नं०-20240700908

की सुनवाई मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार की जायेगी।

संलग्नक: कॉजलिस्ट।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार

निजी सचिव

Let it be uploaded on the official website of the Commission. Ensure message for the same is also sent to the parties concerned.

30/01/26